तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज विजय इन्जिनियर्स जरिये प्रोपराईटर बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 48/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/8/2022	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। जो शामिल मिशल की गई। पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली मे ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 331/5 एव 331/6 ग्राम सालावास की भूमि बाबत शुद्वि चाही है। प्रार्थी ने कथन किया कि खसरा नम्बर 331 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से 2 बीघा भूमि दो विकय पत्र दिनाक 16.06.2000 द्वारा श्री बालाजी उधोग प्रोपराइटर बलदेव गोरा एव सुनिल शर्मा को विकय कर दी जिस पर नामान्तरकरण सख्या 1527 द्वारा राजस्व रेकर्ड ने खसरा नम्बर 331/5 रकबा 1 बीघा एव खसरा नम्बर 331/6 रकबा 1 बीघा अमल दरामद हुआ। तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर 331/5 एव 331/6 का संपरिर्वतन करवा दिया जो संपरिवर्तन दिनाक 10.11.2000 को हो गया अर्थात उक्त भूमि द्वारा कृषि भूमि न रह कर सपरिवर्तन भूमि हो गई जिसको जानकारी श्री बालाजी उघोग फर्म को थी परन्तु राजस्व जमाबन्दी मे उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप ने ही दर्ज रही जिसका नाजायद फायद उठाकर कृषि भूमि के रूप मे दर्ज होने के आधार पर भागीदारी फर्म का विघटन कर अलग अलग नाम से दर्ज करवा दी एव गलत रूप से बंटवाडा कर दिया जो 331/5 एव 331/6 के रूप मे दर्ज कर आगे विकय दिखाते हुए तथा कृषि भूमि दिखाते हूए राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन करवा दिया जो प्राटनात शून्य हैं। जब उक्त भूमि श्री बालाजी उघोग के नाम से संपरिवर्तन हुई थी उस समय उस पर बैक से ऋण फर्म ने प्राप्त किया था। जिसका भुगतान न होने पर बैक का डिफाल्ट होने के कारण उक्त संपरिवर्तन को निलाम किया जो सेल सर्टिफीकेट एसबीआई बैक द्वारा रूपसिह के पक्ष मे जारी किय जिसका पंजीयक 20.02.2009 को किया गया तत्पश्चात रूपसिह ने उक्त खसरा नम्बर 331/3 एव 331/6 की भूमि प्रार्थी को विकय कर दो जिम पर प्रार्थी बहैसित खातेदार काबिज है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे अशुद्वि के कारण गलत रूप से कृषि भूमि के रूप मे ही दर्ज है जो गलत एव शुन्य है जिसे शुद्व किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 331/5 एव 331/6 को हिस्स गैर मुमकिन वाणिज्य सयोजनार्थ दर्ज कर प्रार्थी का नाम इन्दाज किया जावे जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम क तहत पोषणीय है तथा स्वीकार किया जावे। पत्रावली मे तहसीलदार लूणी के द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जो शामिल पत्रालवी की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि विवादग्रस्त भूमि का मूल खातेदारो से आगे से आगे बेचान कृषि भूमि के रूप मे ही हो रखा है जिन बेचाननामो के आधार पर आगे से आगे नामान्तरकरण भी स्वीकूत हो चूके है। उक्त विवादीत भूमि मे प्रार्थी विजय इंजिनियर्स जरिये प्रोपराईटर गोदाराम चौधरी पुत्र उकाराम जाति कालबी निवासी बाटेरा तहसील बागोडा जिला जालोर हाल निवासी जोधपुर का राजस्व रेकर्ड मे आदिनांक कोई अमलदराम नाम नही है तथा न ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है। जहॉ तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 मे विवादीत भूमि की किस्म परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है लेकिन उक्त प्रकरण मे किस्म परिवर्तन के लिए जो संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10.11.2000 का साक्ष्म अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया जिसकी छायाप्रति प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न है जो आदिनांक राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद इन्द्राज ही नही हुआ जिसके अभाव मे केवल किस्म परिवर्तन की शुद्वि का प्रकरण स्वीकार योग्य नही है।	

(मोहर: कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी))

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

इस विवादग्रस्त भूमि के टाइटल के सम्बन्ध मे इसी न्यायालय मे वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मदनलाल बनाम रणसिंह विचाराधीन है। जिसमे की स्थगन आदेश जारी हो रखा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner